(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 33/2024

पंजीकरण सं. :– 2024/139

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

महेन्द्र रेगर उम्र 28वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल रेगर निवासी रेगर बस्ती, मांगरोल दरवाजा, बारां जिला बारॉ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– परवेज पठान अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 14.10.2024

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल महेन्द्र रेगर पुत्र श्री मोहनलाल रेगर निवासी रेगर बस्ती, मांगरोल दरवाजा बारां जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 05.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होक[illegible]रसायल के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अं[illegible]सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:01 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधि[illegible]है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक कुल 10 आपराधिक [illegible] अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आप[illegible]गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम श[illegible]त भी ठीक नहीं है। इस[illegible] जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनो को दोहराते हुये कथन किया गया कि प्रकरण मे थाना कोतवाली बारां द्वारा गैरसायल के विरूद्व बताये गये अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति के नहीं है तथा सभी प्रकरण काबिल जमानतीय है। गैरसायल आदतन अपराधी नहीं है। गैरसायल ने कभी किसी व्यक्ति के साथ लडाई–झगड़ा नहीं किया है। थानाधिकारी कोतवाली बारां द्वारा जिन गवाहान के बयान लेखबद्ध किये है, वह उसी थाने के पुलिसकर्मी है। अन्य कोई स्वतंत्र गवाह की शहादत पत्रावली में मौजूद नहीं है तथा पुलिसकर्मी के बयान जिस दिनांक को लिए गए, वह दिनांक भी अंकित नहीं है। पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेज फोटो प्रतियां है जो किसी न्यायालय से प्रमाणित नहीं है। अतः गैरसायल के विरूद्व जैरकार इस्तगासा निरस्त फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि महेन्द्र रेगर पुत्र श्री मोहनलाल रेगर निवासी रेगर बस्ती, मांगरोल दरवाजा बारां जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2(आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल महेन्द्र रेगर पुत्र श्री मोहनलाल रेगर निवासी रेगर बस्ती, मांगरोल दरवाजा बारां जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, कोतवाली बारां से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल महेन्द्र रेगर पुत्र श्री मोहनलाल रेगर निवासी रेगर बस्ती, मांगरोल दरवाजा बारां जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारां से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, किशनगंज जिला बाराॅ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 06.11.2024 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बाराॅ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना, कोतवाली बारां को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बाराॅ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **14.10.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बाराॅ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:01 IST
Reason: SelfAttested